(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

***

नई दिल्ली, दिनांक: 19 दिसंबर, 2013

अधिसूचना

सं. ए-50013/167/2013-प्रशा.IV: राष्ट्रपति महोदय हाल ही में उभर कर आए सोशल मीडिया एवं समसामयिक मीडिया के जरिए सूचना का प्रसार करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक नए मीडिया सैल की स्थापना करते हैं। संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन) इस नव गठित सैल के समग्र प्रभारी होंगे जिन्हें विशेष कार्य अधिकारी (सी) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त सैल को पूर्ववर्ती गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग (आरआरटीडी), जिसे नए मीडिया विंग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, द्वारा कार्यात्मक और प्रचालनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।

2. 'नए मीडिया विंग' में पूर्ववर्ती गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग के सभी मौजूदा कर्मचारी/अधिकारी तथा उसकी अवसंरचना शामिल होगी। मंत्रालय के सोशल मीडिया सैल के साथ वर्तमान में संलग्न भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारियों को एतदद्वारा 'नए मीडिया विंग' के साथ संलग्न किया जाता है। सोशल मीडिया सैल के वे अधिकारी 'नए मीडिया विंग' के अपर महानिदेशक (एडीजी) को सीधे रिपोर्ट करेंगे जो आगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे।

3. यह दिनांक 04 सितंबर, 2013 से प्रभावी होगा।

(बी.बंधोपाध्याय)
अवर सचिव
दूरभाष: 23389460

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
(भारत सरकार प्रैस), फरीदाबाद,

अधिसूचना सं. ए-50013/167/2013-प्रशा.IV, दिसंबर, 2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. सचिव (सूचना और प्रसारण) के निजी सचिव।
3. अपर सचिव/अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव (फिल्म)/संयुक्त सचिव (प्रसारण-I)/संयुक्त सचिव(प्रसारण-II)/ संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन) के निजी सचिव।
5. विशेष कार्य अधिकारी (सी)।
6. सभी मीडिया प्रमुख।
7. मुख्य सचिवालय में सभी अधिकारी/अनुभाग।
8. कार्यालय आदेश/संदर्भ फोल्डर।

(बी.बंधोपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23389460